स्मार्ट पीडीएस योजना
डिजिटलीकरण में एक साहसिक पहल

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), देश के सबसे बड़े लाभार्थी-केंद्रित कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) हर महीने 81.35 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है।

स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जैसा कि केंद्र ने खाद्यान्न के रिसाव को रोकने, वितरण श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने और प्रवासियों के लिए ऐसे प्रावधानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना के कार्यान्वयन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रतिदिन बहुत सारा डाटा उत्पन्न और संग्रहीत किया जा रहा है। टीपीडीएस इकोसिस्टम पर डेटा एनालिटिक्स हमें लाभार्थियों, उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं और प्रवासन के पैटर्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उत्पन्न करने की अनुमति देता है।

पीडीएस में चुनौतियां एवं इसके निराकरण का प्रयास

खपत और गतिशीलता पैटर्न पर विश्वसनीय और गतिशील डेटा की कमी योजनाकारों के लिए हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती थी। यह महसूस किया गया कि कई अन्य केंद्रीय योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के वितरण के लिए उत्पन्न डाटा का लाभ उठाया जा सकता है।

डेटा-संचालित निर्णय लेने को लागू करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की स्मार्ट-पीडीएस पहल इस घाटे को दूर करने में काफी मददगार साबित होगी। एआई के उपयोग के साथ अभिसरण और एकीकरण वास्तव में सभी कार्यक्रमों में जवाबदेही लाने में लोगों के साथ-साथ सरकारों के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व इन महत्वपूर्ण ट्रांस-मिनिस्ट्रियल अभिसरण के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए श्रेय का हकदार है।

केन्द्र अब डेटा एनालिटिक्स/बीआई प्लेटफार्म और अन्य आईसीटी टूल्स और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और पीडीएस सुधारों को गहरा करने की योजना बना रहा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, रेल और सड़क की परिवहन आपूर्ति श्रृंखला, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास और यूआईडीएआई के साथ एकीकृत करके पीडीएस संचालन का मानकीकरण किया जाएगा। प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों से आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी जनशक्ति से संबंधित पीडीएस संचालन की राज्य-स्तरीय तकनीकी सीमाओं को दूर करने की उम्मीद है। यह सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को भी संस्थागत रूप देगा।

इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस)

आज, कुल मासिक आवंटित खाद्यान्न का लगभग 93 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण मोड के माध्यम से वितरित किया जाता है। इस लाभांश का सीधा श्रेय राशन कार्डों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण, लाभार्थियों के डाटा के ऑनलाइन प्रबंधन, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों के कम्प्यूटरीकरण और लगभग पूरे देश में ईपीओएस उपकरणों की स्थापना को जाता है।

आईएम-पीडीएस

टीपीडीएस संचालन योजना के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण द्वारा लाए गए सुधारों को बनाए रखने और उपरोक्त प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) शुरू किया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं -

1. वन नेशन वन राशन कार्ड (देशव्यापी पोर्टेबिलिटी) का कार्यान्वयन,
2. लाभार्थी/राशन कार्ड डेटा के डी-डुप्लीकेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण;
3. राशन कार्ड प्रबंधन में एकीकृत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम का निर्माण;
4. केन्द्र और सभी राज्यों के बीच आवंटन,
5. खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला और एफपीएस स्वचालन।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है। इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई है और यह देश में गरीबों के लिये सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों के वितरण का कार्य करता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित 'उचित मूल्य की दुकानों' (FPS) या राशन की दुकानों की एक श्रृंखला के माध्यम से खाद्य और कुछ गैर-खाद्य पदार्थ रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता है।
- इस योजना का संचालन उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य मकसद सस्ती दरों पर देश के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013' कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' पीडीएस के लिये खरीद और रखरखाव का कार्य करता है जबकि राज्य सरकारों को राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना होता है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। निगम का प्राथमिक कार्य अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, ब्रिकी, भंडारण, संचालन, सप्लाई, वितरण करना है। इसका मुख्य मकसद सुनिश्चित कराना है कि एक तरफ किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा तयशुदा कीमतों पर केंद्रीय मूल्यों पर खाद्यान्न मिल सके।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वर्तमान में, ओएनओआरसी योजना सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निर्बाध रूप से कार्य कर रही है और लगातार 3.5 करोड़ से अधिक मासिक पोर्टेबल लेनदेन दर्ज कर रही है। यह गिनती लगातार बढ़ रही है। अगस्त 2019 में केवल चार राज्यों में अपनी स्थापना के बाद से, ओएनओआरसी ने अब तक 100 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर दोनों लेनदेन शामिल हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न डेटा अब कई अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए एक उपकरण बन गया है। इनमें से कुछ स्पिन ऑफ में ई-श्रम पोर्टल, आयुष्मान भारत, और पीएम-स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना के लाभ शामिल हैं।

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) ने लाभार्थियों को मैप करने के लिए परिवार आधारित ओएनओआरसी/राशन कार्ड डेटा की परिकल्पना की है। इसी तरह, नवजात को यूनिक (आधार) नंबर देने से आईसीडीएस केंद्रों से लेकर पीएम पोषण और फिर पीडीएस लाभार्थियों के रूप में उनके पोषण को सहज तरीके से ट्रैक करने की संभावना एक वास्तविकता बन जाएगी। ये केवल कुछ उदाहरण हैं सूची संपूर्ण हो सकती है।

पीडीएस से लक्षित पीडीएस तक

वर्ष 1992 तक पीडीएस बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं के लिये चलाई जाने वाली एक सामान्य पात्रता वाली योजना थी। वर्ष 1992 से पीडीएस को आरपीडीएस (revamped PDS) यानी सुधरा हुआ पीडीएस कहा जाने लगा जिसमें गरीब परिवारों खासकर दूर-दराज, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा वर्ष 1997 में आरपीडीएस, टीपीडीएस (targeted PDS) यानी लक्षित पीडीएस बन गया, जिसमें सब्सिडाज्ड दरों पर अनाज के वितरण के लिये फेयर शॉप की स्थापना की गई।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में खामियां

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों के लिए सीमित लाभ
- पीडीएस लाभ में क्षेत्रीय विषमताएं
- सिर्फ शहरी लोगों तक पहुँच
- खाद्य सब्सिडी का बोझ
- संचालन में अक्षमता
- पीडीएस के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि
- पीडीएस में धांधली

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013' कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements –

1. The National Food Security Act, (NFSA) 2013 legally entitled 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized foodgrains under the Targeted Public Distribution System.
2. The main agency providing food grains for the Public Distribution System is the Food Corporation of India.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रकाश डालिए तथा इससे जुड़ी चुनौतियों एवं इनके समाधान हेतु किये गए प्रयासों की चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए।
- ❖ पीडीएस से जुड़ी चुनौतियों को बताएं।
- ❖ इन चुनौतियों को दूर करने के लिए चल रहे प्रयसों को बताएं।
- ❖ संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।